

पूर्व मध्य रेल

पं० दीन दयाल उपाध्याय मण्डल में लीज होल्डर का पंजीकरण

नोटिस सं० काम/रजिस्ट्रेशन ऑफ लीज होल्डर/डी०डी०यू०/२० पं० दीन दयाल उपाध्याय दिनांक:-०३.१२.२० पं० दीन दयाल उपाध्याय मण्डल ऐसे इच्छुक व्यक्तियों/फार्मों को, जो इस मण्डल में एस.एल.आर/बी.पी. में लीज का कार्य करना चाहता है, उनको इस मण्डल में उक्त कार्य हेतु पंजीकरण कराने के लिए आमंत्रित करता है। नियम व शर्तों १. भावी लीज होल्डर को लीजिंग कार्य की निविदा में हिस्सा लेने के लिए (पं० दीन दयाल उपाध्याय मण्डल में) उनको इस मण्डल के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए संलग्न प्रारूप (एनेक्सर-१) संबंधित कागजात के साथ प्रस्तुत करना होगा। २. पंजीकरण पं० दीन दयाल उपाध्याय द्वारा किया जाएगा। इस मण्डल द्वारा लीज के लिए आवेदन को संलग्न प्रारूप (एनेक्सर-१) में दर्शाये गये कागजातों को वरीय मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल, पं० दीन दयाल उपाध्याय के कार्यालय में १४ दिनों के अन्दर तक निश्चित रूप से प्रस्तुत कर देना होगा। मण्डल रेल प्रशासन अपने किसी वाणिज्य निरीक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत कागजातों की सत्यता की जाँच के लिए दर्शाए गए व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर भेजेगा। उन कागजात की वास्तविकता तथा प्रस्तुत विवरणों की सत्यता के जाँचोपरान्त ही आवेदक की लीज होल्डर के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया की जाएगी। ४. लीज होल्डर द्वारा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कागजातों के सत्यता की जाँच की कार्यवाही एक महीने में पूरी कर ली जाएगी। ५. यदि आवेदक वांछित कागजात प्रस्तुत नहीं करता है अथवा सत्यता जाँच में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक को पंजीकरण के लिए आयोग्य माना जाएगा। ६. कागजातों की सत्यता के जाँचोपरान्त आवेदक को पारा-९ में दर्शाये गए श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की राशि को जमा करने के लिए कहा जाएगा। ७. पंजीकरण शुल्क के भुगतान के उपरान्त आवेदक पं० दीन दयाल उपाध्याय मण्डल में पंजीकृत होगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वरीय मण्डल वाणिज्य प्रबंधक/सहायक वाणिज्य प्रबंधक पूर्व मध्य रेल, पं० दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिया जाएगा। ८. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अलावा पंजीकृत लीज होल्डर की फोटो सहित एक परिचय पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दिया जाएगा।

९. पंजीकरण की दो श्रेणियाँ होगी जैसे ए एवं बी विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

श्रेणी	पंजीकरण शुल्क	पार्सल के लिए जगह जिसकी अनुमति होगी
ए	रु १,००,०००/-	एस.एल.आर और बी.पी.
बी	रु ५,००,०००/-	एस.एल.आर

१०. यह पूर्णतः लीज होल्डर पर निर्भर करता है कि वह किस श्रेणी के लिए पंजीकृत होना चाहते हैं ताकि उसकी निविदा में भाग ले सकें। ११. पंजीकरण शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग जमा करना होगा। लीज होल्डर अपनी आवश्यकतानुसार पृथक-पृथक श्रेणियों के लिए पंजीकरण कर सकता है। १२. पंजीकृत लीज होल्डर पं० दीन दयाल उपाध्याय लीज के लिए निविदा में भाग लेने के लिए उसी श्रेणी के लिए योग्य होगा जिसमें पंजीकरण कराया होगा। १३. ए श्रेणी में पंजीकृत लीज होल्डर अन्य सभी श्रेणियों में आमंत्रित निविदा में भाग लेने के लिए योग्य होगा। १४. दण्डात्मक कार्यवाही के कारण यदि किसी लीज होल्डर का पंजीकरण निरस्त/रद्द किया जाता है बार-बार निर्धारित से अधिक सामान लादने पर अथवा निविदा प्रदान करने के उपरान्त लोडिंग शुरू नहीं करने का या जान बूझ कर रेलवे के साथ धोखेबाजी पूर्ण कार्य करने पर अथवा सुनिश्चित नियमों/शर्तों का बार-बार उल्लंघन करने पर जहाँ की पंजीकरण के निरस्तीकरण की प्रक्रिया को दण्डात्मक रूप में लिया गया हो, पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मण्डल में उनके द्वारा किये गये समय लीज आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण के अलावा वैसे लीज होल्डर नये पंजीकरण की सुविधा से पाँच वर्षों के लिए वंचित भी कर दिया जाएगा। १५. पंजीकरण समाप्त करने के लिए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के पारा अपील करना होगा। १६. एक बार पंजीकरण हो जाने पर वह पाँच वर्षों के लिए वैध होगा बशर्ते कि पारा-१४ में उल्लिखित कारणों से रेल प्रशासन द्वारा निरस्त न कर दिया जाय। १७. पंजीकरण की पाँच वर्षों के लिए वैध समयवधि समाप्त होने से पहले लीज होल्डर उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकता है जिसके लिए एनेक्सर-१ में उल्लिखित कागजातों को नये सिरे से प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। १८. पंजीकरण की योजना एक निरंतर प्रक्रिया है जो पुरे वर्ष तक होती रहेगी। कोई भी नया आवेदक कभी भी आवेदन दे सकता है जिसके कागजातों की जाँच तथा पंजीकरण योजना से पीछे हटना चाहता है तो उसका पंजीकरण शुल्क पूरा वापिस किया जायेगा बशर्ते कोई रेलवे देय बाकी न हो।

लीज होल्डर का पंजीकरण

एनेक्सचर-1

1. श्रेणी जिसमें रजिस्ट्रेशन किया जाना है:
2. आवेदक का नाम (व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी/सोसाइटी):
3. आवेदक की प्रकृति-(व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी/ज्वाइन्ट वेंचर):
4. यदि पार्टनरशिप फर्म हो तो :
5. पता- (पता का प्रमाण):
6. (फर्म/कम्पनी/सोसाइटी): के रजिस्ट्रेशन का विवरण (कॉपी संलग्नक):
7. फार्म/आवेदक के व्यापार का वार्षिक टर्नओवर:
(लेखा परीक्षित बैलेंसशीट संलग्न)
8. स्थान तथा कार्यालय परिक्षेत्र का नाम जहाँ से लीज व्यवस्था का कार्य होगा—
 1. पता—
 2. परिक्षेत्र स्क्वायर मीटर में—
 3. यदि निजी हो तो स्वागित्व का प्रमाण पत्र (प्रस्तावित परिक्षेत्र का)—
 4. यदि किराए का हो तो भाड़ा तथा लीज डीड का विवरण—
9. वर्तमान व्यापार प्रोफाईल:
10. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं०/जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं०:—
11. टीन नं०/सेल्स टैक्स नं०:—
12. पैन कार्ड का अभिप्रमाणित कॉपी(प्रोपराटर या कम्पनी का):—
13. कम्पनी/फर्म के कार्यालय का टेलीफोन नं०:—
14. अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पता जो रेल अधिकारियों से व्यापार डील कर सके:—
15. अधिकृत व्यक्ति का संपर्क नं० जो रेलवे के साथ व्यापार डील कर सके:—
 1. कार्यालय:—
 2. निवास:—
 3. संबंधित व्यक्ति का गोबाईल सं०:—
16. लीज होल्डर एवं अधिकृत प्रतिनिधि का फोटो:—

आवेदक का हस्ताक्षर:—

नाम:—

पता:—

पिन:—

EAST CENTRAL RAILWAY

NOTICE No.Com/Registration of lease holders/DDU/20

Sub:-Registration of lease holders with Pt.Deen Dayal Upadhyaya Division.

Pt. Deen Dayal Upadhyaya Division invite attention of the interested parties doing business for leasing of SLRs, VPs for their registration with this division for the purpose of leasing of SLRs and VPs.

TERMS AND CONDITIONS

1. Prospective lease holders will be required to get themselves registered with the Railways (particularly Pt. Deen Dayal Upadhyaya Division, if they are interested to do business for leasing of SLRs and VPs with this division) in order to participate in leasing tenders. For this purpose they will be required to submit documents listed in Annexure-1.
 2. Registration will be done by Pt. Deen Dayal Upadhyaya Division. In case a lease holder wishes to participate in tenders floated by this division then he must get himself registered separately.
 3. For this purpose, the lease holder will submit his documents (as listed at Annexure-1) to the Sr. Divisional Commercial Manager/E.C. Railway/ Pt. Deen Dayal Upadhyaya within fourteen days positively. The correctness of all details given in the relevant documents shall be verified by Railway Administration by deputing Commercial Inspector to the business premises mentioned in the documents. Only after all documents have been verified for their authenticity, division will accept the applicant as a registered lease holder.
 4. Process for verification of all relevant documents submitted by the lease holder shall be completed within a period of one month of submission of application.
 5. In case of non-submission of documents mentioned at Annexure-1 or in case details provided by him are found to be incorrect, then the applicant will not be eligible for being registered as lease holder.
 6. After his documents been verified, the lease holder will be asked to deposit registration fee for the category in which he seeks registration as detailed in Para-9 below.
 7. On payment of registration fee, the lease holder will be registered by this division and a certificate to that effect will be issued by Sr. DCM/ACM, E.C. RLY/ Pt. Deen Dayal Upadhyaya.
 8. Along with the certificate of Registration lease holder will also be provided with a Photo Identity Card duly signed by the ACM/Sr. DCM.
 9. There will be two categories of Registration, namely "A" and "B". Details are as follows:
- | Category | Registration Fee | Parcel space permissible |
|----------|---------------------------------|--------------------------|
| A | Rs.100000/- (Rs. One Lakh) | SLRs and VPs |
| B | Rs.50000/- (Rs. Fifty thousand) | SLRs |
10. It is for the lease holder to decide which category he wishes to get himself registered depending on the type of lease he wishes to participate in.
 11. Registration fee will have to be deposited separately as per category specified. However, a lease holder may get himself registered in separate categories depending upon his requirement.
 12. Registered lease holder will be eligible to participate in tenders in Pt. Deen Dayal Upadhyaya division for the category he is registered in.
 13. Lease holder registered in category "A" will be eligible to participate all leasing tenders.

14.If the registration of a lease holder is cancelled as a punitive measure,either for the reasons for the repeated overloads or for repeated failure to start loading after award of the contract, or for attempt to deliberately defraud railway or for repeated violation of any of the existing stipulations where cancellation of registration has been legislated as the penalty,then the entire registration fee would be forfeited.

In addition to forfeiture of registration fee,all his existing leasing Contracts being operated from this division will also be cancelled.

In addition to cancellation,such a lease holder shall be debarred from fresh registration for a period of five years.

15.Appeal against cancellation of registration will lie to CCM.

16.Once a lease holder has registered himself, his registration will be valid for five years, unless his registration is cancelled by the Railway Administration as mentioned at Para-14 above.

17.Before expiry of his registration on completion of five years, a lease holders may renew his registration by submitting fresh documents as listed at Annexure-1 without payment of any additional registration fee.

18.The scheme of registration of lease holders will be a continuous process and open throughout the year.Any new entrant can get himself registered on Pt. Deen Dayal Upadhyaya division at any time by submitting an application with relevant documents for verification and thereafter paying the registration fee.

19.If a lease holder wishes to withdraw from the registration scheme his registration fee will be refunded in full,subject to clearance of all Railway dues.

ANNEXURE-1

REGISTRATION OF LEASE HOLDERS:-

1.Category under which registration sought :

2.Name of applicant (individual/firm/company/society):

3.Nature of applicant:
(Whether individual /Firm/Company/Joint Venture)

4.Whether Partnership firm:-

5.Address

(Copy of address proof)

6.Details of Registration of firm/company/Society:

(copy attached)

7.Annual turnover of the business of the firm /applicant:

(copy of audited balance sheet attached)

8.Location of premises from where leasing work will be conducted:

(a)Address:-

(b)Area in Sq.Mtrs.

(c)If owned,proof of ownership of premises.

(d)If rented,proof thereof(copy of lease deed)

9.Current business profile:

10.Service tax / GST Registration no:-

11.TIN Number/Sales Tax Number

12. Attested Copy PAN Card (either of proprietor or of the company):-
13. Telephone number of the office of the Company/Firm:-
14. Names and address of the persons authorized to deal with business with Railway Authorities:-
15. Contact number of the concerned person authorized to deal the business with Railways:-
(a) Office
(b) Residence
(c) Mobile number of the concerned officer
16. Photograph of lease holder and his authorized representatives:-

Date:.....Place:.....

Signature of applicant
(with full address/Stamp/Seal of firm/Company)

